राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या–499/2018

धर्मेन्द कुमार कल्ला

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, वृत्त जालौर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, वृत्त जालौर।
5. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जोधपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, वृत्त द्वितीय, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

I

आदेश की दिनांक : 18.12.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री हिमांशु श्रीमाली, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हमेन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1- प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कार्यप्रभारित संवर्ग में दैनिक वेतन भोगी के रूप में दिनांक 01.12.1987 को हुई थी जिसे कार्यप्रभारित सेवा नियमों के अन्तर्गत 2 वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.04.1990 से हैल्पर के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित किया गया तथा दिनांक 01.01.1998 से हेल्पर के पद पर नियमित घोषित किया किया जाकर राज्यादेश दिनांक 20.09.1995 के अनुसार सुविधायें देय की गई। अपीलार्थी द्वारा हेल्पर के पद से पम्प चालक के पद पर पदोन्नति के लाभ लेने हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार याची द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत जालौर के आदेश दिनांक 23.02.2006 द्वारा पम्प चालक के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नति प्राप्त कर समस्त लाभ–परिलाभ प्राप्त कर लिये गये एवं तद्नुसार ही अपीलार्थी द्वारा आगामी चयनित वेतनमान भी प्राप्त कर लिये गये। पूर्व में अपीलार्थी ने अधिकरण, चलपीठ, जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 957ध्2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि याची को हैल्पर के स्थान पर स्टोरमुन्शी के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित कर समस्त पारिणामिक लाभ–परिलाभ दिलाये जावे।

अधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 18.01.2017 में यह आदेशित किया कि याची अप्रार्थी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा तथा अप्रार्थी नियमानुसार विचार कर विधिनुसार एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारण करेगा। याची द्वारा दिनांक 22.03.2017 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि से दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर स्टोरमुन्शी के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित किया जाकर समस्त पारिणामिक लाभ–परिलाभ प्रदान किये जायें।

2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील 546/2014 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अनिल आचार्य तथा अन्य 40 संबंधित याचिकाओं में दिनांक 20.11.2014 को संयुक्त रूप से पारित निर्णय में अंकित शासन उप सचित द्वितीय, जन स्वा.अभि. विभाग, जयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.07.2013 एवं 03.07.2013 में उल्लेखित बिन्दुओं के अनुसार हैल्पर से स्टोर मुन्शी के पद पर अर्द्धस्थायीकरण हेतु कार्मिक का प्रथम नियुक्ति तिथि से स्टोर मुन्शी के पद का कार्य किया जाना आवश्यक है. परन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई भी पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह प्रमाणित हो कि याची द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से निरन्तर स्टोर मुन्शी के पद का कार्य सम्पादित किया गया है। कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.02.95 के द्वारा कार्यप्रभारित सेवा नियम 1964 को निरसित किया जाकर कार्यप्रभारित संवर्ग को डाईंग केडर घोषित कर दिया गया है जिससे दिनांक 17.02.1995 के पश्चात कार्यप्रभारित संवर्ग के धारित पदों में किसी तरह का पद परिवर्तन संभव नहीं है।

3. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को दिनांक 28.10.2006 को हेल्पर से पम्प ड्राईवर के पद पर तकनीकी वर्ग में पदोन्नत किया जा चुका हैं। अपीलार्थी तकनीकी संवर्ग से है जबकि स्टोर मुंशी का पद मंत्रालयिक संवर्ग से सम्बंधित है। अपीलार्थी को उसकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर पूर्व में ही पम्प ड्राईवर के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। अपीलार्थी के प्रतिवेदनों को पूर्व में ही अधिकरण के आदेश दिनांक 18.01.2017 की अनुपालना में विभाग के आदेश दिनांक 18.01.2017 द्वारा कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना की है अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश

प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्त को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रोंधनियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (चमांपदह व्तकमत) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावाड़ा)
सदस्य